न्यायालयः-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - आशीष मीना, आर.जे.एस.

नि.फौ.प्रकरण संख्या - 990/2023

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

अभियोगी....

बनाम

अनारसिंह पुत्र रतनलाल, निवासी-गणेशपुरा सेमली, पुलिस थाना भालता जिला झालावाड़

अभियुक्त....

अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406, 323 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितः-

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री रामअवतार गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

निर्णय दिनांकः- 07-03-2026

01- थानाधिकारी पुलिस थाना अकलेरा की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए, 406, 323 का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए अभियुक्त के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 02.09.2023 को पेश किया गया।

02- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 15-09-2022 को परिवादिया श्रीमति कांतिबाई ने इस न्यायालय में एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि उसका विवाह मुल्जिम अनारसिंह के साथ अर्सा 10 वर्ष पूर्व ग्राम गेहूंखेड़ी थाना/तहसील अकलेरा में सम्पन्न हुआ था। शादी के बाद ही उसका गोना देकर आती जाती कर दी थी। इस दौरान ही मुल्जिमान द्वारा हमेशा दहेज की मांग की जाती थी और प्रताड़ना दी जाती रही है वह मुल्जिमान द्वारा दी गई यातना प्रताड़ना को सहन करती रही और अपना पत्नी धर्म का पालन करती रही है। मुल्जिमान ने कहा कि अब तेरे पिता के यहां से 50 हजार रूपए नकद एक मोटरसाईकिल लेकर आ नहीं तो तुझे चैन से नहीं रहने देंगे किसी दिन पेट्रोल डालकर जिन्दा ही जला देंगे हमारी दहेज की मांग को पूरा नहीं किया तो तुझे भगा देंगे। मुल्जिमान ने एकराय होकर उसके साथ मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक यातना उसको देते थे। काफी समझाने के बाद भी मुल्जिमान के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसके विवाह में उसके माता पिता व रिश्तेदारों ने दहेज के सामानों में घर गृहस्थी का सामान अपनी हैसियत के अनुसार दिया था जो उसका स्त्रीधन था। मुल्जिम अनारसिंह उसे शारीरिक एवं मानसिक यातना देकर प्रताड़ित करता था। उसका पति अकारण ही मारपीट मारपीट करने लगा शराब पीकर उसको आए दिन यातना दी जाकर मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ित किया जाता रहा है। उसका समस्त स्त्रीधन छीनकर अर्सा 4 वर्ष पूर्व घर से भगा दिया तब से वह अपने पीहर में रह रही है। उसके परिवारजनों ने मुल्जिमान को समझाने का प्रयास किया तो उक्त सभी मुल्जिमान अर्सा 15 दिन पूर्व उसके घर ग्राम गेहूखेड़ी आए और सभी मुल्जिमान ने दहेज की

मांग को लेकर पूरे परिवार को प्रताड़ित किया और जलील किया तथा एलानिया धमकी देकर गए कि बिना 50 हजार रूपए एक मोटरसाईकिल लिए बिना हमारे आवेगी तो अगली बार जिन्दा नहीं जावेगी। कहते हुए सभी मुल्जिमान उसके साथ मकान के अंदर घुसकर धक्का मुक्की कर मारपीट की है। जबरन खेंच कर उसे ले जाने का प्रयास किया कि इसको अपने घर ले चल कर आग लगा कर जिन्दा ही जला देंगे। धमकी देकर चले गए। मुल्जिमान द्वारा उसको जान बूझकर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित कर मारपीट कर घर से भगा दिया व उसका समस्त स्त्रीधन हड़प कर लिया है।, इत्यादि।

03- उपरोक्त परिवाद धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत पुलिस थाना अकलेरा को प्रेषित किया गया, जिसपर पुलिस थाना अकलेरा पर मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 14/2023, अन्तर्गत धारा 498ए, 406, 323 भा.दं.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए, 406, 323 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा इसी धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

4. बहस चार्ज सुनी गई तथा अभियुक्त को धारा 498ए, 406, 323 भा.दं.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05- अभियोजन पक्ष ने अपनी अभियोजन कहानी के समर्थन में पी.डब्ल्यू. 01 कांतिबाई, पी.डब्ल्यू. 02 हीरालाल, पी.डब्ल्यू. 03 अमरलाल, पी.डब्ल्यू. 04 पूरीलाल, पी.डब्ल्यू. 05 राधेश्याम, पी.डब्ल्यू. 06 कमला बाई, पी.डब्ल्यू. 07 प्रेमबिहारी, पी.डब्ल्यू. 08 कालूलाल को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श पी. 1 लगायत पी. 6 तक दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

06- साक्ष्य अभियोजन बन्द की गई तथा अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. किया गया, तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

07- बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

08- दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

09- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। मामले में स्वयं फरियादिया सहित अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य सभी गवाहान की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है, जिन्होंने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

10- बहस उभय पक्ष सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु निम्न है, कि-

(1). आया अभियुक्त ने दिनांक 15.09.2022 से किसी समय पूर्व परिवादिया कांतिबाई से विवाह होने के पश्चात् परिवादिया का पति होते हुए किसी दिन व किसी समय मौजा गणेशपुरा सेमली, थाना भालता में परिवादिया से दहेज में 50 हजार रूपए व एक मोटरसाईकिल की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर, उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर घर से निकाल कर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया तथा परिवादिया को विवाह के अवसर पर प्राप्त जेवर, बर्तन, सामान आदि स्त्रीधन, जो आपके पास न्यस्त था, का आपने बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग कर अपने उपयोग में सम्परिवर्तित कर लिया तथा परिवादिया द्वारा मांगने पर भी नहीं लौटाकर आपराधिक न्यासभंग किया व परिवादिया कांतिबाई के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहातिया कारित की। इस प्रकार क्या अभियुक्त ने धारा 498ए, 406, 323 भा.दं.सं. के तहत् दण्डनीय अपराध कारित किया?

(2). यदि हाँ, तो दोषी होने पर दण्ड की मात्रा कितनी हो?

11- उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया गया। प्रकरण का उद्भव परिवादिया कांतिबाई द्वारा पेश परिवाद प्रदर्श पी. 01 के आधार पर हुआ है, जिसमें परिवादिया ने अंकित किया है कि उसका विवाह मुल्जिम अनारसिंह के साथ अर्सा 10 वर्ष पूर्व ग्राम गेहूंखेड़ी थाना/तहसील अकलेरा में सम्पन्न हुआ था। शादी के बाद ही उसका गोना देकर आती जाती कर दी थी। इस दौरान ही मुल्जिमान द्वारा हमेशा दहेज की मांग की जाती थी और प्रताड़ना दी जाती रही है वह मुल्जिमान द्वारा दी गई यातना प्रताड़ना को सहन करती रही और अपना पत्नी धर्म का पालन करती रही है। मुल्जिमान ने कहा कि अब तेरे पिता के यहां से 50 हजार रूपए नकद एक मोटरसाईकिल लेकर आ नहीं तो तुझे चैन से नहीं रहने देंगे किसी दिन पेट्रोल डालकर जिन्दा ही जला देंगे हमारी दहेज की मांग को पूरा नहीं किया तो तुझे भगा देंगे। मुल्जिमान ने एकराय होकर उसके साथ मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक यातना उसको देते थे। काफी समझाने के बाद भी मुल्जिमान के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसके विवाह में उसके माता पिता व रिश्तेदारों ने दहेज के सामानों में घर गृहस्थी का सामान अपनी हैसियत के अनुसार दिया था जो उसका स्त्रीधन था। मुल्जिम अनारसिंह उसे शारीरिक एवं मानसिक यातना देकर प्रताड़ित करता था। उसका पति अकारण ही मारपीट मारपीट करने लगा शराब पीकर उसको आए दिन यातना दी जाकर मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ित किया जाता रहा है। उसका समस्त स्त्रीधन छीनकर अर्सा 4 वर्ष पूर्व घर से भगा दिया तब से वह अपने पीहर में रह रही है। उसके परिवारजनों ने मुल्जिमान को समझाने का प्रयास किया तो उक्त सभी मुल्जिमान अर्सा 15 दिन पूर्व उसके घर ग्राम गेहूखेड़ी आए और सभी मुल्जिमान ने दहेज की मांग को लेकर पूरे परिवार को प्रताड़ित किया और जलील किया तथा एलानिया धमकी देकर गए कि बिना 50 हजार रूपए एक मोटरसाईकिल लिए बिना हमारे आवेगी तो अगली बार जिन्दा नहीं जावेगी। कहते हुए

सभी मुल्जिमान उसके साथ मकान के अंदर घुसकर धक्का मुक्की कर मारपीट की है। जबरन खेंच कर उसे ले जाने का प्रयास किया कि इसको अपने घर ले चल कर आग लगा कर जिन्दा ही जला देंगे। धमकी देकर चले गए। मुल्जिमान द्वारा उसको जान बूझकर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित कर मारपीट कर घर से भगा दिया व उसका समस्त स्त्रीधन हड़प कर लिया है।, इत्यादि।

12- परिवादिया कांतिबाई न्यायालय में पी.डब्ल्यू. 01 के रूप में परीक्षित हुई है, जिसने अपने सशपथ बयानों की मुख्य परीक्षा में उसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी. 1 की ताईद की है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि उनकी शादी घर से ही हुई थी। दहेज मांगने की तारीख, दिन, महीना, मौसम उसे याद नहीं है। उससे दहेज की मांग ससुराल में की थी। यह बात आज से दस साल पुरानी बात है। मुकदमा करने से पूर्व उसने मुल्जिम से दहेज का सामान नहीं मांगा। यदि उसे मुल्जिम अनारसिंह दूसरी जगह नाते जाने देता तो वह यह कार्यवाही नहीं करती तथा उसे तलाक देने के कारण ही यह कार्यवाही की है। इस्तगासा प्रदर्श पी. 01 में उसने दहेज मांगने की तारीख, स्थान आदि का वर्णन अंकित नहीं किया है। रिपोर्ट कराने से 15-20 दिन पहले मुल्जिम व उसके परिवार वाले उनके घर गेहूंखेड़ी नहीं आए व न ही उस दिन उन्होंने उसके साथ कोई मारपीट की।

13- गवाह पी.डब्ल्यू. 02 हीरालाल है जो कि फरियादिया का पिता है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य मुख्य परीक्षण में घटना की ताईद की है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि जब उसकी पुत्री को मारपीट कर घर से भगाया उस समय उन्होंने कोई पुलिस कार्यवाही नहीं की थी। मुल्जिम अनारसिंह, कांतिबाई को नाते नहीं बैठने दे रहा है इसलिए उन्होंने यह कार्यवाही की है। समाज के लोगों के सामने जब दहेज की मांग की तब उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं की। दहेज मांगने की तारीख, दिन, वार, महीना, साल, संवत उसे याद नहीं है। दावा करने से पहले उन्होंने अनारसिंह से दहेज का सामान नहीं मांगा। इस्तगासा करने के 15-20 दिन पहले मुल्जिम व उसके घरवाले उसके घर आए थे और उन्होंने मारपीट की थी, मारपीट उसने नहीं देखी।

14- गवाह पी.डब्ल्यू. 03 अमरलाल है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि मुल्जिम ने उसके सामने कांतिबाई से कोई मारपीट तथा दहेज की मांग नहीं की। दहेज व मारपीट वाली बात हीरालाल ने उसे बताई थी। मुल्जिम अनारसिंह, कांतिबाई को नाते नहीं बैठने दे रहा इसलिए कांतिबाई ने यह कार्यवाही की है। यदि अनारसिंह, कांतिबाई को नाते जाने देता तो वे यह कार्यवाही नहीं करते।

15- गवाह पी.डब्ल्यू. 04 पूरीलाल है जिसने अपने न्यायालय बयान में कथन किया है कि उसके सामने कोई मोटरसाईकिल व रूपए की मांग नहीं की। गवाह पी.डब्ल्यू. 05 राधेश्याम है जो कि फर्द जप्ती दहेज सामान प्रदर्श पी. 03 का गवाह है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि पुलिस ने उसके खाली कागज पर हस्ताक्षर कराए थे। उसके सामने पुलिस ने अनारसिंह से कोई दहेज का सामान जप्त नहीं किया।

16- गवाह पी.डब्ल्यू. 06 कमला बाई है जो कि फरियादिया की माता है जिसने अपने न्यायालय बयान में कथन किया है कि कांतिबाई दो वर्ष से उनके पास रह रही है। दो

साल पहले कांतिबाई ने उन्हें बताया था कि अनारसिंह उससे दहेज में रूपए व मोटरसाईकिल की मांग करता है। गवाह पी.डब्ल्यू. 07 प्रेमबिहारी है जिसके द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किया गया था। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि उसने फरियादिया के बताए गवाहों के बयान लिए थे परन्तु उसके आस पड़ोस वालों के बयान लेखबद्ध नहीं किए।

17- गवाह पी.डब्ल्यू. 08 कालूलाल है जिसे न्यायालय में परीक्षित होने पर अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। जिरह एपीओ में उक्त गवाह में अभिकथित किया है कि फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 03 पर पुलिस ने उसका अंगूठा निशानी कराई हो तो उसे पता नहीं है। उसके सामने कोई सामान जप्त नहीं किया।

18- इस प्रकार सभी गवाहों की साक्ष्य विवेचन से यह स्पष्ट है कि फरियादिया व उसके परिवारजन ने मुल्जिम अनारसिंह के विरूद्ध मुकदमा इसलिए दर्ज कराया था क्योंकि अनारसिंह, कांतिबाई को नाते नहीं बैठने दे रहा था। यदि अनारसिंह, कांतिबाई को नाते जाने देता तो वे यह कार्यवाही नहीं करते। सभी गवाहों ने स्वीकार किया है कि दहेज मांगने की तारीख, दिन, वार, महीना, साल, संवत उन्हें याद नहीं है एवं परिवादिया के पिता ने स्वीकार किया है कि जब उसकी पुत्री को मारपीट कर घर से भगाया उस समय उन्होंने कोई पुलिस कार्यवाही नहीं की थी। फरियादिया सहित अन्य गवाहों ने स्वीकार किया है कि मुकदमा करने से पूर्व मुल्जिम से दहेज का सामान नहीं मांगा। फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 03 का गवाह पी.डब्ल्यू. 08 काललाल पक्षद्रोही घोषित हुआ है। गवाह पी.डब्ल्यू. 05 राधेश्याम ने पुलिस द्वारा उसके हस्ताक्षर खाली कागज पर करवाना बताया है। गवाह पी.डब्ल्यू. 04 पूरीलाल ने भी उसके सामने कोई मोटरसाईकिल व रूपए की मांग नहीं करना बताया है। प्रकरण में किसी भी गवाहान की साक्ष्य से मुल्जिम द्वारा अपराध कारित किया जाना साबित नहीं हुआ है।

19- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के सुक्ष्म विश्लेषण व उपरोक्त विवेचन से अभियोजन पक्ष इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 15.09.2022 से किसी समय पूर्व परिवादिया कांतिबाई से विवाह होने के पश्चात् परिवादिया का पति होते हुए किसी दिन व किसी समय मौजा गणेशपुरा सेमली, थाना भालता में परिवादिया से दहेज में 50 हजार रूपए व एक मोटरसाईकिल की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर, उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर घर से निकाल कर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया तथा परिवादिया को विवाह के अवसर पर प्राप्त जेवर, बर्तन, सामान आदि स्त्रीधन, जो आपके पास न्यस्त था, का आपने बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग कर अपने उपयोग में सम्परिवर्तित कर लिया तथा परिवादिया द्वारा मांगने पर भी नहीं लौटाकर आपराधिक न्यासभंग किया व परिवादिया कांतिबाई के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहातिया कारित की। अतः अभियुक्त आरोपित अपराध धारा 498ए, 406, 323 भा.दं.सं. में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

आदेश

20- अतः अभियुक्त अनारसिंह पुत्र रतनलाल, निवासी-गणेशपुरा सेमली, पुलिस थाना भालता जिला झालावाड़ को धारा 498ए, 406, 323 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय

में प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित बाबत् प्रस्तुत पूर्व के जमानत-मुचलके निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण में प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीज़न निरस्त समझे जाए। प्रकरण में जप्तशुदा सामान प्रकरण की परिवादिया को अस्थायी सुपुर्दगी पर दिया गया था, जो बाद गुजरने मियाद अपील उसी के पास रहे।

21- अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437 'क' दं.प्र.सं. के तहत् 10,000/- की राशि का स्वयं का मुचलका व इसी कदर राशि की एक जमानत न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे, जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा,जिला-झालावाड़(राज.)

22- निर्णय आज दिनांक 07-03-2026 को खुले न्यायालय में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा सुनाया जाकर लिखाया गया।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा,जिला-झालावाड़(राज.)

<u>प्रमाण-पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

RAJARAM MEENA

Steno Gr. III "Authenticate Document"
Digitally signed by RAJARAM MEENA
Date: 2026.03.07 04:27:41 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।